ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला जिला शिमला की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 7/06 से 3/13

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के अवधि 7/2006 से 3/2013 के उपयोक्ता प्रभार निधि लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000 e-Goverenance दिनाँक 3.9.2005 के दृष्टिगत, इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा दिनाँक 7.4.14 से 7.6.14 के दौरान शिमला में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2006–07	07/06	12/06
2007–08	09/07	12/07
2008–09	12/08	03/09
2009–10	01/10	12/09
2010–11	03/11	03/11
2011–12	12/11	11/11
2012–13	07/12	07/12

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी ई–गवर्नेन्स सोसाईटी शिमला के अध्यक्ष व सचिव पद पर कार्यरत्त रहेः–

अध्यक्ष		सचिव	
श्री जे0एस0 राणा	18.07.06 से 02.03.09	श्री राकेश कंवर	18.07.06 से 28.01.08
श्री अमर सिंह राठौर	03.03.09 से 30.05.09	श्री पी0एल0 नेगी	29.01.08 से 31.08.08
श्री जे0एस0 राणा	30.05.09 से 29.01.11	श्री रमेश्वर शर्मा	12.09.08 से 12.07.10
श्री ओंकार शर्मा	29.01.11 से 27.04.12	डा0 रमेश कुमार	12.07.10 से 29.01.13
श्री मनीष गर्ग	27.04.12 से 30.05.12	श्री डी0के0 रत्न	30.01.13 से 31.03.13
श्री अरूण कुमार	31.05.12 से 23.10.12		
श्री सुभाशीष पाण्डा	24.10.12 से 03.01.13		
श्री दिनेश मल्हौत्रा	03.01.13 से 31.03.13		

(ग) गम्भीर अनियमितताएं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	5	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला में उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) से अंशदान रूप में प्राप्त राशि को केन्द्रीय ईकाई की रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष में न दर्शाया जाना	0.50
2	6 (ख)	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	1.73
3	7	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से उपायुक्त कार्यालय के बिजली के बिलों का भुगतान करने बारे	11.61
4	8	हिमाचल प्रदेश राजकीय इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को भुगतान करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	2.82
5	9	ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला से जिला नाजिर शिमला को ऋण के रूप में भुगतान करने बारे	0.25
6	10	उपमण्डलाधिकारी अधिकारी चौपाल तथा तहसीलदार कुमारसैन को ऋण के रूप में भुगतान करने बारे	1.70
7	12	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमैन्ट निगम लिमिटेड को सुगम I तथा सुगम II केन्द्रों में UPS viring and Earthing & Lan Cabling तथा PoP के लिए अनियमित भुगतान करने बारे	5.46
8	13	नगर निगम शिमला को जनरल टैक्स के रूप में अधिक भुगतान करना	0.18
9	16	लघु बचत ईनाम निधि को किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं	1.85
10	22	खुले बाजार से स्टेशनरी की खरीद करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.27

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा जो उपलब्ध नहीं करवाई, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) के वर्तमान निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹24000/– बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनाँक 26.6.14 जारी करके उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया है। अंकेक्षण शुल्क का ब्यौरा **परिशिष्ट "A"** में संलग्न है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) संस्था द्वारा प्रस्तुत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) की रोकड़ बही में आय व व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है तथा जिला शिमला के विभिन्न RLAs से प्राप्त आय की राशि का विवरण **परिशिष्ट "क–1"** पर दिया गया है। वित्तीय स्थिति की जाँच पर पाया गया कि रोकड़ बही में योगों की गलत गणना तथा रोकड़ बही में की गई अन्य त्रुटियों के फलस्वरूप रोकड़ बही में जो अन्तशेष विभिन्न वित्तीय वर्षों में दर्शाये गये है, वह वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते है। अतः रोकड़ बही के आधार पर तैयार की वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ बही में दर्शाये अन्तशेषों में भिन्नता पाई गई जिस बारे लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 24.4.14 द्वारा अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सोसाईटी एवं उपायुक्त, जिला शिमला को अवगत करवाया गया तथा रोकड़ बही में पाई त्रुटियों को एक सप्ताह में ठीक करवाकर सही वित्तीय स्थिति बनाकर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था, परन्तु सोसाईटी द्वारा लेखा परीक्षा को अंकेक्षण के दौरान सही वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई। **परिशिष्ट "ख"** पर वर्णित अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 24.4.14 के अनुसार रोकड़ बही में पायी गई त्रुटियों एवं बैंक खाते में पाये जाने वाले अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i) दिसम्बर 2010 में रोकड़ बही में जो अन्तशेष दर्शाया गया है वह रोकड़ बही में दर्शाई गई आय व व्यय प्रविष्टियों के आधार पर ₹83050/– अधिक लिया गया है।

(ii) रोकड़ बही में जनवरी के अन्तशेष में ₹100000/– को कम लिया गया है।

(iii) नवम्बर, 2012 में रोकड़ बही में दर्शाये गए अन्तशेष में ₹21301433 को अधिक दर्शाकर राशि वर्णित की गई है जोकि लिपिकय गलती (Clerical Mistake) प्रतीत होती है

(iv) दिसम्बर, 2012 में ₹85073/– को अन्त शेष में अधिक दर्शाया गया है।

(v) जनवरी, 2013 में ₹350415/– को अन्त शेष में अधिक लिया गया है।

(ख) इस प्रकार रोकड़ बही में योगों में विभिन्न प्रकार त्रुटियाँ होने के कारण रोकड़ बही में 31.3.13 को ₹512140/–का अन्तशेष दर्शाया गया है, जबकि रोकड़ बही में आय व व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर 31.3.13 को अन्तशेष की (–) ₹62487/– बनती है। इसके अतिरिक्त बैंक खाते में 31.3.13 को अन्तशेष ₹499250/– दर्शाया गया है। अतः रोकड़ बही/बैंक खाते तथा रोकड़ बही में आय व व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय स्थिति में दर्शाये अन्तशेषों में भिन्नता पाई गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इन त्रुटियों का समाधान शीघ्र किया जाये तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई भी की जाये।

(ग) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा नियमानुसार समय–2 पर रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों के साथ किया जाना अनिवार्य था जबकि सोसाईटी द्वारा कभी भी रोकड़ बही का मिलान बैंक खातों के साथ नहीं किया जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही के योगों में भी निरन्तर गलतियाँ पाई जाती रही है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रतीत होता है कि रोकड़ बही में समय–2 पर की जानी वाली प्रविष्टियों को भी रोकड़ बही में नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही के शेषों तथा बैंक शेषों में अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। इस अन्तर के बारे में संस्था को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनाँक 24.4.14 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है। अतः इस अन्तर का समाधान शीघ्र करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाये।

अवधि	रोकड़ बही का अन्तशेष	बैंक खाते का अन्तशेष	अन्तर
2006–07	529183	545365	16182
2007–08	409234	456809	45575
2008–09	1675002	1813474	138472
2009–10	2631361	2800136	168775
2010–11	3827939	4149191	316252
2011–12	4888484	5349928	461444
2012–13	512140	499250	12890

5 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला में उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) से अंशदान रूप में प्राप्त ₹50000/– को केन्द्रीय ईकाई की रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष में न दर्शाया जाना:–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के लेखो के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत परिवहन स्त्रोतों से

कुल प्राप्त user charges में से मार्च, 2006 को ₹50000/– ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला को भेजी गई परन्तु केन्द्रीय ईकाई की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि ई गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला की रोकड़ बही का आरम्भ ही जुलाई, 2006 से किया गया जिस में मार्च, 2006 में उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) द्वारा भेजी गई उक्त ₹50000/– जमा नहीं पाई गई प्रतीत होती है। इस प्रकार मार्च 2006 में भेजी गई ₹50000/– को किस खाते में जमा किया गया उससे सम्बन्धित कोई भी विवरण अभिलेखों में नहीं पाए गए। अतः उपमण्डलाधिकारी शिमला (ग्रामीण) से प्राप्त ₹50000/– को किस खाते में जमा किया गया, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये इस राशि को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला की रोकड़ बही में जमा किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 निवेशः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा दिनाँक 31.3.13 तक ₹7004440/– का निवेश सावधि योजना में किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न है।

(ख) सावधि योजना में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा ₹173533 का कम ब्याज देनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा बैंक में निवेशित राशियो पर परिपक्वता तिथि पर सोसाईटी को जो ब्याज प्राप्त होना था उससे कम ब्याज बैंक द्वारा दिया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बैंका का नाम	एफ0डी0आर0 नं0	निवेश करने की तिथि	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की दर	परिपक्वता राशि जो बनती है	जो राशि दी गई	अन्तर
Axis Bank Shimla	912040052/ 506946	4.10.12	13.6.13	9%	2099766	2084446	15230
हि0प्र0 को–ओपरेटिव बैंक, दी माल शिमला	Old No. 894815 New No. TDR/1238410	8.12.11	8.12.13	9%	1073314	1003945	69369
–यथोपरि–	1042572/TDR/ 1239411	5.12.12	5.12.13	9%	2186167	2122245	63922
–यथोपरि–	1041791/TDR/ 1240120	15.2.13	15.2.14	9%	1639625	1617893	21732
–यथोपरि–	1042572	5.12.12	5.12.13	9%	724237	721047	3190
						योग	**₹173533**

इस प्रकार बैंक द्वारा निवेशित राशियों पर उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर ब्याज के रूप में ₹173533/– कम दी गई प्रतीत होती है। बैंक द्वारा ब्याज की यह राशि किस आधार पर कम दी गई, इस बारे में कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बैंक द्वारा ब्याज की राशि कम देने बारे मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाये और कम दिए गए ब्याज को अर्जित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों को व्यय के रूप में दर्शाकर रोकड़ बही से कम करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) निधि से समय–2 राशियों को सावधि योजना के अन्तर्गत निवेशित किया गया था जिसको व्यय के रूप में दर्शाकर रोकड़ बही से कम किया था, जोकि अनियमित था। अतः इस प्रकार सावधि योजना के अन्तर्गत राशियों को निवेशित करने के फलस्वरूप रोकड़ बही के बकाया से कम करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त जो राशियाँ सावधि योजना के अन्तर्गत परिपक्वता के पश्चात ब्याज सहित रोकड़ बही में भी ली गई है, उनका पूर्ण ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। अतः इन राशियों को पुनः से रोकड़ बही से आय पक्ष में लेकर रोकड़ बही को ठीक किया जाये और तदोपरान्त बैंक से मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से उपायुक्त कार्यालय के बिजली के बिलों का ₹1161700/– का भुगतान करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से उपायुक्त कार्यालय के बिजली के बिलों की ₹161700/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

स्वीकृति आदेश सं0	चैक सं0	राशि
SML-Sugam /HPSEB/bill 411 dt. 3.7.12	729469/4.7.12	661700
SML-Sugam/HPSEB/Bill-518 dt. 6.9.12	928513/12.9.12	500000
		₹1161700

सम्बन्धित नस्ति में दी गई टिप्पणी के अनुसार उपायुक्त कार्यालय द्वारा ₹7720000 लाख के बिजली के बिल देने बकाया में थे, जिसमें से उक्त निधि से ₹1161700/– का भुगतान किया गया। यह भुगतान ई–गवर्नेन्स निधि से किस आधार पर किया गया, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण नस्ति में संलग्न नहीं था। e-Governance Society Distt Shimla

का संचालन, माह 7/06 से शुरू हुआ, जिसके अन्तर्गत सुगम केन्द्र से कार्य किया जाने लगा। अतः माह 7/06 से अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त तक कितनी राशि के बिजली के बिल प्राप्त हुये और सुगम–1 व सुगम–II को प्रदान की गई बिजली सुविधा के अनुसार जितनी विद्युत का उपयोग किया गया, उस अनुपात के आधार पर बिजली के बिल का विभाजन करके e-Goverenance निधि से बिजली के बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जबकि e-Goverance निधि से बिजली के बिल का भुगतान Lum Sum के आधार पर हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को किया गया। अतः ₹1161700/– का भुगतान e-Goverance निधि से जिस आधार पर किया, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सुगम केन्द्र के लिये बिजली के मीटर अलग से लगवाने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि स्वंतत्र रूप से सुगम केन्द्रों के बिजली के बिलों का भुगतान वास्तविक खपत के आधार पर किया जा सके।

8 हिमाचल प्रदेश राजकीय इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को ₹2,81,000/– का भुगतान करने से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा अपनी निधि से हिमाचल प्रदेश राजकीय इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को समय–2 पर कम्पयूटर तथा प्रिन्टर इत्यादि की खरीद के लिये अग्रधन के रूप में ₹145425/– का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

चैक सं0/दिनाँक	स्वीकृति सं0	राशि	वितरण
224158/27.8.11	SML Sugam/Safai/493 dated 26.8.11	88725	3 No. HCL Computer
224187/21.9.11	SML-Sugam/552 dated 16.9.11	56700	One No. H.P. Leserjet 5200 No. Laser Printer (A-3 size)

अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त अग्रधन के अन्तर्गत तीन Computers दिनाँक 14.9.11 को प्राप्त किये गए प्रतीत होते है, परन्तु सोसाईटी सम्पूर्ण अग्रधन का समायोजन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्राप्त गए किए कम्पयूटरों में से दो कम्पयूटर ADC Development Branch DC. Office Shimla तथा एक Computer ADM (L&O) Shimla को दिया गया, परन्तु इसकी प्रविष्टि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला स्टॉक रजिस्टर में नहीं पाई गई। अतः स्टॉक रजिस्टर में कम्पयूटर की प्रविष्टि न करने बारे

औचित्य स्पष्ट किया जाये और इन कम्पयूटरों की प्रविष्टि पूर्ण विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान के अन्तर्गत कौन–2 से अन्य कम्पयूटर प्राप्त किये गए, इससे सम्बन्धित पूर्ण ब्यौरा भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि निम्नानुसार अग्रधन के रूप में किये भुगतान से सम्बन्धित सामग्री जिस–2 बिल के अन्तर्गत प्राप्त की गई, उनका पूर्ण ब्यौरा तैयार करके अग्रधन का समायोजन किया जाना अपेक्षित था।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा माह 1/12 में चैक संख्या 324036 दिनाँक 13.1.12 द्वारा ₹136550 का भुगतान H.P.S.E.C Ltd Khalini Shimla को किया गया, जिसकी स्वीकृति "Purchase of Hardware Computer Part-V" की नस्ति में पृष्ठ 82 में कम्पयूटर की खरीद के लिये ₹136550/– प्रदान की गई थी। यह भुगतान किस बिल के एवज में तथा कितने कम्पयूटरों की खरीद के लिए किया गया, इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नस्ति में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा जो कम्पयूटर प्राप्त किये गये, वह किस–2 को जारी किये गये, उससे सम्बन्धित भी कोई भी ब्यौरा नस्ति में नहीं पाया गया। इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में किये गये भुगतान की जाँच नहीं की जा सकी। अतः संस्था द्वारा इस मामले में अपने स्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति और अनुपालना में आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला से जिला नाजिर शिमला को ऋण के रूप में ₹25000/– का भुगतान करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि की AC to DC से सम्बन्धित नस्ति की टिप्पणी–22 के आदेश अनुसार, जिला नाजिर को स्टेम्पस की खरीद के लिए चैक संख्या 4844856 दिनाँक 14.3.07 द्वारा ऋण के रूप में ₹25000/– का भुगतान किया गया था। अभिलेखों में कहीं भी यह नहीं पाया गया कि उक्त ऋण जोकि जिला नाजिर को ई–गवर्नेन्स निधि से किया गया था, उसकी वसूली कर ली गई थी अथवा नहीं। अतः यदि उक्त ऋण की ₹25000/– की वसूली जिला नाजिर से कर ली गई है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाए और यदि इस ऋण की वसूली अभी तक नहीं की गई तो इसकी वसूली शीघ्र की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

10 उपमण्डलाधिकारी अधिकारी चौपाल तथा तहसीलदार कुमारसैन को ऋण के रूप में क्रमशः ₹145000/–व ₹25000/– का भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से उपमण्डलाधिकारी अधिकारी चौपाल को चैक संख्या 4444897 दिनाँक 6.12.06 द्वारा ₹145000/– तथा तहसीलदार कुमारसैन को चैक संख्या 4444896 दिनाँक 6.12.06 द्वारा ₹25000/– का भुगतान ऋण के रूप में किया, परन्तु उक्त ऋणों की वसूली कब की गई, इसके बारे में अभिलेखों मे कोई विवरण/साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः उक्त ऋणों की वसूली के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यदि इन ऋणों की वसूली नहीं की गई तो इन ऋणों की वसूली शीघ्र की जाये और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

11 Multipurpose Cabins at District Courts Shimla - Sugam Centre Phese-II के निर्माण बारेः–

ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के भुगतान से सम्बन्धित वाऊचरों की टैस्ट जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि तथा आई0टी0 विभाग से प्राप्त निधि से Multipurpose cabins at district courts Shimla - Sugam Contre Ph-II का निर्माण किया गया। उक्त कार्य का आंबटन श्री विजय कुमार गौतम संविदाकार को किया गया। इस निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया। अभिलेख के अनुसार ठेकेदार को जो भुगतान किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार से है। इसके अतिरिक्त संविदाकार को जो भी और भुगतान किया गया उसका पूर्ण विवरण देकर स्थिति आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट की जाये क्योंकि इस सम्बन्ध में ठेकेदार को कब–2 भुगतान किया गया, उससे सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे।

चैक सं0	दिनाँक	राशि
885108	01.08.07	180000
4945731	16.07.07	300000
885027	21.09.07	500000
885031	18.10.07	100000
7491265	21.12.07	620000
885036	05.08.08	241775

उक्त निर्माण कार्य के आबंटन तथा भुगतान में निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य को करने से पूर्व निर्माण कार्य की ड्राईंग, अनुमान पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तकनिकी एवं प्रशासनिक तौर पर स्वीकृति करवाने के पश्चात ही उस कार्य के टैंडर, विज्ञापनों द्वारा आमन्त्रित किये जाने अपेक्षित तथा टैंडर प्राप्त करने के पश्चात जस्टीफिकेशन तैयार करके न्यूनतम दर पर कार्य आंबटित किया जाना अपेक्षित होता था, परन्तु उक्त कार्य के लिए ने तो अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की गई और न ही जस्टीफिकेशन तैयार की गई जिससे यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि ठेकेदार को एच0पी0–एस0आर0 2009 की दरो ंसे उपर कितनी प्रतिशतता पर निर्माण कार्य का आबँटन किया गया तथा यह भी निश्चित नहीं किया जा सका कि कहीं इस निर्माण कार्य को जस्टीफिकेशन की दरें से अधिक दरों पर तो आंबटित नहीं किया गया। अतः निर्माण कार्य को जस्टीफिकेशन तैयार न करने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ख) ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु आबँटन पत्र भी सोसाईटी द्वारा जारी नहीं किया गया।

(ग) निर्माण कार्य से पूर्व कार्य कितनी अवधि में ठेकेदार द्वारा किया जाना था, उस बारे में भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

(घ) ठेकेदार को समय–2 किये गये भुगतान से सम्बन्धित निष्पादित कार्य की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में नहीं की गई थी जबकि प्रत्येक चलित बिल की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में करने के उपरान्त ही उसमें से जमानत राशि (Security), आयकर, बिक्री कर तथा अन्य जो भी कटौतियाँ की जानी अपेक्षित थी, उनको करने के उपरान्त ही बिल निम्नानुसार पारित किया जाना अपेक्षित था जबकि इस निर्माण कार्य का भुगतान सीधे साधारण कागज पर बिना माप पुस्तिका के प्रविष्टियाँ किया गया, जोकि अनियमित था। अतः बिना माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ करके बिलों के भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ङ) ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिए जो भुगतान किये गये उसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो भुगतान किया गया वे Sugam Ph-II के निर्माण के लिये ही किया गया था तथा इसमें से Sugam Ph-I के निर्माण के लिये कोई भी भुगतान नहीं किया गया जिस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये।

12 हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमैन्ट निगम लिमिटेड को सुगम I तथा सुगम II केन्द्रों में UPS viring and Earthing & Lan Cabling तथा PoP के लिए ₹546867/– का अनियमित भुगतान करने बारेः–

टैस्ट अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी शिमला की स्वीकृति आदेश संख्या SML-Sugam/Bill/2007-

704 दिनाँक 15.12.09 के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमैन्ट निगम लिमिटेड को सुगम I तथा सुगम II केन्द्रों में UPS viring and Earthing & Lan Cabling तथा PoP के लिए ₹546867/– का भुगतान चैक संख्या 8303678 दिनाँक 16.12.09 द्वारा किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जोकि भुगतान वाउचर में संलग्न है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि नियमानुसार यह भुगतान आई0टी0 विभाग शिमला द्वारा प्राप्त अनुदान अथवा आई0टी0 विभाग द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था, परन्तु हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र संख्या HPSEDC/CC/Sugam-/2Kg-125 दिनाँक 18.5.09, जोकि जिलाधीश शिमला को सम्बोधित है, के अवलोकन करने पर पाया गया कि ये भुगतान इस लिये ई–गवर्नेन्स निधि (केन्द्रीय ईकाई) शिमला से किया गया क्योंकि इस भुगतान को I.T. Deptt. Shimla ने इस आशय से करने से मना कर दिया गया कि इससे पूर्व उनके द्वारा दी गई अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को नहीं भेजें गए। अतः जो भुगतान I.T. Deptt. से किया जाना था, उस भुगतान को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला की निधि से केवल इस लिए किया गया, कि पूर्व की अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को नहीं भेजे गए जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। यदि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा I.T. Deptt. से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय–2 पर भेजे जाते रहते तो इस व्यय का भुगतान भी I.T. Deptt. Shimla से प्राप्त अनुदान से किया जा सकता था और ₹546867/– का जो अनाधिकृत व्यय सोसाईटी निधि से किया गया उसकी बचत हो सकती थी। अतः इस मामले में अब कार्रवाई की जाये और इसकी भरपाई I.T. Deptt. Shimla से शीघ्र करवाई की जाये और अपेक्षित राशि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के खाते में जमा की जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल भी अभिलेख में नहीं पाये गये जिसके अभाव में किये गये खर्च की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस व्यय से सम्बन्धित बिलों को आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 नगर निगम शिमला को जनरल टैक्स के रूप में ₹18458/– का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय इकाई) शिमला की निधि से नगर निगम शिमला को चैक संख्या 729485 दिनाँक 13.8.12 द्वारा ₹139345/– का भुगतान जनरल टैक्स के रूप में किया गया। भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान में जनरल टैक्स में बकाया कर का भी भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Bill No./Date	Particular	Total Amount	Arrear
46976/22.9.11	Sugam Sanur of tender Building No-I	50809	36730
46977/22.9.11	D.C. Office Shimla –do- No. 2	67238	48606
46978/22.9.11	Building D.C. Office Shimla	21298	15396
	योग=	**₹139345**	**100732**

उक्त बकाया राशि कौन–2 अवधि से सम्बन्धित है, उसे स्पष्ट नहीं किया गया और न ही सोसाईटी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा प्रस्तुत किए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बकाया राशि किस–2 अवधि की है। इसके अतिरिक्त यदि उक्त बकाया कर का भुगतान समय पर सम्बन्धित वर्षों में कर दिया गया होता तो (₹10073+₹5036 ब्याज= ₹15109) की बचत हो सकती थी। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि नगर निगम शिमला से उक्त बिल 11.6.12 को प्राप्त किये गये दर्शाये गये है और यदि इन बिलों का भुगतान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाता तो ₹3358/– का कम भुगतान करना पड़ता जबकि अवलोकन करने पर पाया गया कि इन बिलों का भुगतान 13.8.12 को किया गया जिसके फलस्वरूप ₹3358/– का अधिक भुगतान किया गया। अतः बिलों का समय पर भुगतान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में बिलों का भुगतान समय पर किया जाये। अतः अधिक किये गये भुगतान की ₹15109+₹3358=₹18467 बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

14 M/S Satluj Document Company को ऋण आधार पर ₹8500/– का भुगतान करने बारेः–

अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से चैक संख्या 4844857 दिनाँक 17.3.07 के अन्तर्गत मैसर्ज सतलुज डोकेमैन्ट कम्पनी को ऋण के आधार पर ₹8500/– का भुगतान किया गया। यह भुगतान उक्त फर्म को किस सन्दर्भ में किया गया, इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त उक्त ऋण की वसूली/Recoupment, जिला उपायुक्त के Regular Budget से की जानी अपेक्षित थी जैसा कि रोकड़ बही में की प्रविष्टि में दर्शाया गया था, परन्तु उक्त ऋण की वसूली/Recoupment, जिला उपायुक्त के Regular Budget से कर लिया गया या नहीं की गई इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया

जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त राशि की Recoupment/ वसूली कर ली गई है अथवा नहीं? अतः यदि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा इसकी वसूली दिये गए निर्देशानुसार के अन्तर्गत ली गई है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाए अन्यथा इसकी वसूली दिये निर्देशानुसार करके ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला की निधि में जमा करवाई जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 ई–गवर्नेन्स निधि में तीन कम्पयूटर क्रय करके तथा बिना सम्पत्ति रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके कम्पयूटरों को सरवोदय आश्रम को दिया जानाः–

कम्पयूटर एवं सॉफटवेयर से सम्बन्धित नस्ति के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि सम्बन्धित नस्ति संख्या V के पृष्ट 44 के अनुसार तीन कम्पयूटर सिस्टम का क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	H.C.l. Computer System (Intel Dual Core E 5800)
1	Sr. No. 7111 AA 911845
2	-do- 7111AA811946
3	-do- 7111AA911847

उक्त कम्पयूटर H.P. State Electronics Development Corporation Ltd. से दिनाँक 8.11.2011 को खरीदकर तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के सम्पत्ति रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही सीधे Sarnodya Ashram, Near K.N.H. Shimla को दे दिये गए। अतः स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही Sarnodya Ashram Shimla को तीन नं0 Computer जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। नियमानुसार जिस निधि के अन्तर्गत कम्पयूटर इत्यादि की खरीद की गई उस निधि के सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर में कम्पयूटर की खरीद प्रविष्टि करने के पश्चात जिस अधिकारी/कर्मचारी/संस्था जिसको कम्पयूटर जारी किये गये, उनका पूर्ण विवरण स्टॉक रजिस्टर में दिया जाना अपेक्षित था, जोकि नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की निधि से उक्त तीन नं0 कम्पयूटर की खरीद पर खर्च की राशि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये क्योंकि यह व्यय ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि जारी किए गए इन कम्पयूटरों की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार सम्बन्धित अभिलेख में की जाये और जिन प्रावधान के अन्तर्गत कम्पयूटरों की खरीद पर उक्त खर्च किया गया, उनको भी आगामी अंकेक्षण से दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 लघु बचत ईनाम निधि को किए गए ₹185075/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स निधि से ₹185075/– का भुगतान चैक संख्या 729486 दिनाँक 13.8.12 द्वारा लघु बचत ईनाम निधि के लिए किया गया। यह भुगतान लघु बचत ईनाम निधि से ई–गवर्नेन्स सोसाईटी को स्थापित करने के लिए ली राशि के वापिस करने के एवज में किया। भुगतान नस्ति में संलग्न नोटिंग में यह ऐसा विवरण कहीं नहीं पाया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु बचत ईनाम निधि से जो राशि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी को स्थापित करने के लिए ली गई थी, वह ई–गवर्नेन्स सोसाईटी की रोकड़ बही में किस अवधि में ली गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसका सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान सुनिश्चित किया जाये।

17 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से व्यय की गई ₹379143/– से सम्बन्धित वाऊचरों एवं अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला की रोकड़ बही के अनुसार निम्नविवरणानुसार ₹379143/– के जो भुगतान विभिन्न–2 फर्मों को किये गये दर्शाये गये थे, उनसे सम्बन्धित अभिलेख/वाउचरों को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

चैक संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	राशि
4004084/3.2.07	M/S Shreshtha cousultancy Shimla	69650
4844855/12.3.07	Saraswati Data Com.	10000
4844860/28.3.07	M/S Furniture Work Shop	5772
4844872/24.4.07	M/S conversion Arcade	5400
4844873/26.4.07	M/S Saraswati Data com.	16200
4849434/18.6.07	M/S C.S. Computer	25725
4849436/25.6.07	M/S Vijay Crockery	1092
4849437/25.6.07	M/S Trans World Marketing	3559
7533706/18.1.08	M/S Shreshtha cousultancy Shimla	143749
270298/1.3.11	M/S Ashoka Steel	4331
270299/1.3.11	M/S Trade	4535
275201/9.3.11	HPSED Shimla	29250

275202 / 19.3.11	Suresh Verma Sr. Asstt.	5425
275204 / 19.3.11	-do-	1000
275203 / 19.3.11	Sh. Virender Singh	5000
275205 / 19.3.11	M/S Trade link enterprises Shimla	4870
275206 / 19.3.11	M/S Ambika Traders Shimla	6326
275207 / 19.3.11	M/S Trade Links Shimla	4880
275208 / 19.3.11	Shimla Stationers Shimla	2970
275209 / 19.3.11	Image Maker Computers Shimla	900
275212 / 19.3.11	M/S Central Traders Shimla	2594
275213 / 19.3.11	Sh. Rajini Singh % Perfect -3 Public Services Shimla	14700
275214 / 19.3.11	Manager SBI Shimla	300
293582 / 30.11.11	A.D. B.S.N.L.	500
293581 / 30.11.11	M/S Atmaram Radha Krishan Ram Bazar Shimla	9715
293580 / 30.11.11	Gainda Mal Hem Raj Shimla	700
	योग	₹379143

18 बिलों को पारित किये बिना ही भुगतान करने बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से जिन –जिन बिलों का भुगतान किया गया, उन बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया। अतः इन बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाने के अतिरिक्त भविष्य में बिलों का भुगतान करने से पूर्व बिलों को पारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि बिलों के दोहरे भुगतान से बचा जा सके। अंकेक्षण के दौरान जिन बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित नहीं करवाया गया पाया गया, उनमें से कुछ का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनाँक	चैक सं0	फर्म का नाम	सामग्री का ब्यौरा	राशि
16.11.07	9491237	SNA Povo FR Engineerina Pvt. Ltd. Chd Bill No. 454/1.10.07, 455/1.10.07 Bill No. 456/Ho/07, 457/1.10.07, 459/1.10.07	62 No. Batteries 53200+(45600x4)	235600
25.9.07	7496761	M/S Wardhan Corporation Shimla	1 Godrej Sofa	14063
20.12.07	7491264	M/S Shreshhtha Conloutancy Stationcy		6490

		Shimla Shimla Bill No. 152 dt. 2.11.07		
20.12.07	7491266	M/S Central Traders The Mall, Shimla Bill No. 1585 dt. 11.12.07	8 No. heat Piller	12555
4.1.08	7491284	Anhied Enginering Constration Co. Shimla	12 No. Chair without Arm (Pearl)	15016
8.1.08	7491292	M/S Transworld Marketing, Middle Bajar, Shimla Duplicate Bill No. 3759/3.10.07	V/B linds	12026
		Orginal –do-3820/5.12.07	-do-	13924
3.3.09	8048921	M/S Shreshtha Consultancy Shimla Bill No. 483/14.3.08	Computer	8950
		Bill no. 491/19.3.08	Pen drive glossy paper Lamination Pouch UPS cable	9025
		Bill no. 496/24.3.08	Glass screen IT maiter walfer speaker cam etc.	5430
		Bill no. 567/13.8.08	160 G.B Hard disk Ram 512MB DVD writer etc.	9175
		Bill No. 600/17.2.09	Cardless Key Board etc.	6200
	8048931/ 19-3-09	H.P. State Electronics Development Corpu. Ldt.Shimla Bill No. 1986 dt. 5.3.09	H.P. Laserjet 1522 nf.	19990
	7491287/ 4.1.08	M/S Shreshta Couultancy Shimla Bill No. 467/29.11.07	Computer Stationary etc.	16945
	7491298/ 16.01.08	-do- Bill no. 425/1.10.07	-do-	2709
	8048922/ 3.3.09	Appollo System & Shiml	UPS Battery	132600
	8048927/ 11.3.09	M/S Ambika Traders Shimla	Computer Stationery	1160
	8048934/ 24.3.09	M/S Naresh Enterprises New Shimla Bill no. 0110 dt. Nil	EPABx endage	56983
	8303674/ 5.12.09	M/S Allied Eng. & Coustnection Shimla Bill no. 1468 dt. 6.11.09	Pearl 20 No. Chairs	30160
	275212/	M/S Central Traders	Emergency Light	2594

19.3.11	Shimla Bill No. 3506 dt. 21.12.10		
293563/ 15.11.11	M/S Shreshtha Consulting Shimla bill no. 1025 dt. 16.7.11	Inkjet Printer Cartridge	2620
293574/ 26-11-11	M/S Kumar Studio Shimla Bill No. 134 dt. 1.11.11	One blow up photograph	15000
293578/ 30-11-11	H.P. Khadi Asram Shimla Bill No. 452 dt 18.11.11	Boli Baster	968
293579/ 30-11-11	Lahori Tailar Shima Bill No. 35 dt 18.11.11	2 कमीज 2 पैन्ट	800
293565/ 26-11-11	Ajeet Graphices, Shimla Bill No. 86287 dt. 7.9.11	Black Acrulic Board Brass Letters Brass Logo	52133
293566/ 26.11.11	Busness Masters Shimla Bill No. 528 dt. 21.11.11 Bill No. 489 dt. 3.11.11	Camtaten arlidn etc.	6904
293567/ 26.11.11	Trade link Enterprises Shimla Bill No. 6885 dt. 23.11.11	Stationery etc.	445
293569/ 26.11.11	M/S image maker Computer Shimla Bill No. 3021/16.6.11, 3037/21.6.11, 3038/21.6.11, 3071/4.7.11, 3403/3.10.11, 3441/20.10.11	Computer Material	12000
293570/ 26.11.11	H Tehnologies Pvt. Ldt. Chandigarh Bill No. 14645 dt. 10.7.11	Replacement of in H.P. Printer	4000
293571/ 26.11.11	M/S Harish Electriclas, Shimla Bill No. 763 dt. 9.9.11	Electrical material	2640
2935872/ 26.11.11	M/SS Realtech Computers Shimla Bill No. 6940/9.8.11 Bill No. 6939/9.8.11	SMPS Mother Board	3000
293573/ 26.11.11	M/S Total Computer Solution Shimla Bill No. 1205 dt. 7.9.11		950
324037/ 13.1.12	H.P. State cimilsupplies corporation Limited Shimla Bill no. 0167650 dt. 5.11.12	Gas Heater	5400
324040/ 24.1.12	H.P. Khadi Asram Shimla Bill No. 1882 dt. 19.11.11	Office Almirah	6770
335408/ 9.3.12	-do- Bill no. 1883 dt. 24.11.11	Office Almirah	7100

(ख) उक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नाजिर शाखा द्वारा भी बिलों को पारित करवाए बिना ही इनका भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा दी स्वीकृति आदेश के मध्यनजर किया जा रहा था तथा बिलों पर कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया था कि इन बिलों का भुगतान कितनी राशि का किया गया क्योंकि भुगतान के समय बिलों में दर्शाई गई राशि का मिलान स्वीकृत आदेश में दर्शाई गई राशि से भी नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त इन बिलों को सुगम केन्द्र में ही रखा जा रहा था। ऐसे में इन बिलों की राशि की जाँच जोकि नाजिर शाखा में की जानी चाहिए थी, नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त इन मदों की स्टॉक प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में बिलों के साथ स्वीकृत पत्र लगाकर तथा बिलों को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर ही इनका भुगतान किया जायें। नाजिर शाखा द्वारा उपरोक्त प्रकार के बिलों का भुगतान करने से सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

स्वीकृत सं0	फर्म का नाम/बिल	सामग्री का ब्यौरा	सं0	दर	राशि
SML-NJ(LRC)/Sugam/Stationary/2007-611 dt. 13.9.10	M/S Trade links Enterprises Lower Bazar Shimla Bill No. 5363 dt. 18.9.10	Photocopier paper A4 size	40Pkt	118/75	2375
		Photoglossy paper 180	100Pec.	5/50	550
SML-NJ(LRC)/Sugam/Stationary-23 dt. 15.1.11	-do- Bill No. 5733 dt. 6.1.11	Photostate paper A4 size	10 Rim	118/79	1188
SML-NJ(LRC)/Sugam/Stationary/2011-133 dt. 16.2.11	-do- Bill No. 5815 dt. 1.2.11	Pendrive 4GB K/S	1	400	400
	-do- Bill No. 5822 dt. 3.2.11	Photostate paper A4 size	10 Rim	118/75	1188
SML-NJ(LRC)/Sugam/Stationary/2011-286 dt. 4.4.11	-do- Bill No. 5975 dt18.3.11	Photostate paper	10 Rim	118/75	1188
	do- Bill No. 5955 dt 15.3.11	Arms Licence strips ST-4 1/4	2 Rim	260	520
SML-NJ(LRC)/Sugam/Stationary/315 dt. 14.1.11	do- Bill No. 6297 dt18.6.11	Photocopier A4	10 Rim	118/75	1188
	do- Bill No. 6362 dt 1.7.11	Pinter Cartridge	2Set	1660	3320
	do- Bill No. 6308 dt 21.6.11	Photocopier A4	20Rim	118/75	2375
		paper Pins	5 Set	16	90
		H.P. Leserjet 1505 tonner	2P.C	2435	4870
		H.P. Leserjet 1022 Tonner	1 PC	2440	2440
		Reffing	2PC	165	330

Sanction No. SML-NJ/LRC)/Sugam/ Staionary/ 2010-637 dt. 28.10.10	M/S Vijay crockery & Tent House Shimla Bill no. 8886 dt. 15.10.10	1 Dazan Glass Tumbler		–	250
		6 Cups & soucers		450	450
		2 No. plastic jug		135	270
		1 No. Try superior		–	190
		1 No. Dozen Duster		–	150
		2 Set		–	180
					1490
				वैट+13.25%	197
					1687
(Remarks No entry were made in the S/R and No passed order were made as the bill)					
-do- Bill no. 638 dt. 28.10.10	M/S Central Trader The Mall Shimla Bill No. 3392/19.10.10 M/S Ashoka steel Furniture Industries The Mall Shimla Bill No. ASFi/03021 dt. 22.10.10.	Hot case big size	1 No.	2100	2100
No. SML/Sugam/Crokery/2010-754 dt. 13.12.10		Steel Almirah 4 sheves 1980x865x 485		4331	4331
SML/Sugam/Cokcry/2010-5 dt. 4.1.11	M/S Ashoka Steel Furniture Industries The Mall Shimla Bill No. ASFI/03101 dt. 16.09.10	1 No. Sofa Chair		17631	17631
SML-NJ/LRC)/Sugam/Crockry/h.Pillars-47 dt. 27.1.11	M/S Central Traders 2, The Mall Shimla Bill no. 3595 dt. 22.1.11	4 no.	Heat Pillar Belco white	3200	12800
SML-NJ/LRC)/Sugam/AMC/12-57 dt. 18.2.13	Lwermin Internation Shimla-12 Bill no. 32 dt. 11.12.12	5 Pcs	Heta Pillar Double Rod Lumia Brand 1500 watt	1275	11375
SML-NJ/LRC)/Sugam/Crockry/etc./2014-104 dt. 31.3.14	Sharma electrics Lower Bazar Shimla Bill No. 670 dt 26.11.13	1 No.	Heat Conveter Khaitan	2480	248
				योग	₹7426

19 खरीद गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियों को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करनाः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के लेखों के अंकेक्षण के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि केन्द्रीय ईकाई द्वारा समय–2 निम्नलिखित बिलों के अन्तर्गत जो खरीद

की गई, उस सामग्री की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई प्रतीत होती है क्योंकि बिलों पर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का प्रमाण नहीं पाया गया। अतः बिलों के अन्तर्गत खरीदी गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त इन प्रविष्टियों के अलावा अन्य समस्त मदों की भी संस्था स्त्तर पर ज़ाँच करके उनकी प्रविष्टियाँ अब सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में की जाये और जिन–2 कर्मचारियों को सामग्री जारी की गई, उनसे पावती भी प्राप्त की जाए।

चैक सं/दिनाँक	फर्म का नाम	सामग्री का ब्यौरा	दर	राशि
7491264/ 20.12.07	M/S Shreshtha Consultanry Shimla Bill no. 452 dt. 2.11.07	1 Lamination Machine	3200	3200
		1 Paper cutter	700	700
		6 Patch Card	120	720
		2 Glossy paper	200	400
		1 Lamination pouch (R.C.)	470	470
		1 Lamination pouch (Driving Licence)	175	175
		1 Computer stationery (80 Col-)	350	350
		1 Computer Stationery (1302 Col.)	475	475
				6490
7491287/ 4.1.08	-do- Bill No. 467/29.11.07	10 No. Computer A-4 size	117.50	1175
		5 Lc 1050 printer cartridge	75	375
		3 Pkt Driving Licence Pouch	175	525
		4 Pkt. Allpin	8	32
		2 Pkt Glossy paper	350	700
		2 Pkt stapler pins	4	8
		20 file cover	6	120
				2935
	Bill no. 466 dt. 29.11.07	No. Optical Mouse with USB part	310	3100
		100 No. RJ 45 connector	5	500
		100 mtr. OTP cable	11.50	1150
		20 No. Patch card with R.j. connector	120	2400
		2 No. extention board	280	560

		1 o part switch	900	900
				8610
	Bill No. 462 dt. 28.11.07	3 no. 600 VA UPS	1800	5410
7491298/ 16.1.08	Bill no. 425 dt. 1.10.07	1 Tonner for Toshiba 160	153	1475
		10 No. A4 size computer paper	117.52	1175-20
				2709-20
8048922/ 3/3/09	Appollo System & Semices, Shimla Bill No. 368 dt. 5.12.08	13 No. UPS Batter ride	-	31200
	Bill no. 363 dt. 3.12.08	13 No. -do-	-	31200
	Bill no. 364 dt. 3.12.08	13 No. -do-	-	31200
	Bill no. 378 dt. 6.12.08	15 No. –do-	-	39000
	M/S Amibka traders Shimla	10 no. A4 size paper	116	1160
8048927/ 16.3.09	Bill no. 000106 dt. 27.1.09			
275212/ 19.3.11	M/S Covtral Traders The mall, Shimla Bill No. 3506/21.12.10	1 No. emergency light grylhon		1495
		1 No. Emergency niffo		1098
				2594
293574/ 26.11.11	M/S Kumar stiod Shimla Bill No. 134 of 1.11.11	One bhow up photograph with lamination and frame.		15000
293580/ 30.11.11	Lohari Tailor Shimla Bill No. 35 dt. 18.11.11	2 कमीज 2 पैन्ट		800
293565/ 26.11.11	M/S Ajeet graphics Shimla Bill No. 0087 dt. 7.9.11 Bill No. 0086 dt 7.9.11	2 No. Black Acrglic Boartd Brass letters Brass logo		52133
293567/ 26.11.11	Trade link enterprises Shimla Bill Nop. 6885 dt. 23.11.11	100 fill cover etc.		445
293570/ 26.11.11	H and H Technologies Pvt.	Replacement of sleev in H.p. LJ 5200 printer		4000

	Ltd. Chandigarh Bill No. 14645 dt. 10.7.11		
293571/ 26.11.11	M/S Harish Electrical Shimla Bill No. 763 dt. 9.9.11	UTP cut 6.60.mtr I.O. Pilot3No. 2 Mtr Poucth Card-3 No. PVC pipe -6 no. RJ 45-3 No.	2640
324037/ 13.1.12	H.P. State cimil Supplies corpu. Ltd. Shimla Bill No. 0167650 dt. 5.01.12	Shkati Finadly gas heater 1 No.	5400

(ख) उक्त के अतिरिक्त चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि स्टेशनरी तथा अन्य मदों की जो भी खरीद ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला द्वारा की गई, उनसे सम्बन्धित बिलों का भुगतान बिना स्टॉक प्रविष्टि किए ही किया गया क्योंकि बिल पर कहीं भी यह अंकित नहीं था कि बिल द्वारा खरीद की सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की गई या नहीं। ऐसे में सामग्री की खरीद का उपयोग किन–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी करके किया गया नहीं दर्शाया गया था। इस प्रकार अभिलेखों/स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार न करने के फलस्वरूप सामग्री की खरीद के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अतः वर्ष 2006 से अब तक जितनी भी सामग्री की खरीद की गई तथा जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई है उनकी अब प्रविष्टियां की जाये और सामग्री का उपयोग कहां–2 और किस उद्देश्य के लिये किया गया है उसका भी पूर्ण विवरण तैयार किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20 स्टॉक रजिस्टर में पाई गई अनियमितताओं बारेः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के अंकेक्षण के दौरान स्टॉक एवं स्टोर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार ई–गवर्नेन्स निधि से समय–2 पर खरीद किये गये लैपटॉपस, कम्पयूटरज, प्रिन्टरज, लेमिनेशन मशीन, फोटोस्टेट मशीन इत्यादि की जो प्रविष्टियाँ स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में की भी गई है, उनका स्पष्ट विवरण स्टॉक रजिस्टर में नहीं दिया गया था अर्थात स्टॉक रजिस्टर में यह विवरण नहीं दिया गया था कि कम्पयूटर तथा अन्य मदों इत्यादि की खरीद किस फर्म से की गई, उसकी Descriptions क्या थी और कम्पयूटर के साथ क्या–2 Accessiers प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त उक्त सामग्री जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को जारी की गई, उनमें से अधिकतर

प्राप्तकर्ताओं से पावती प्राप्त नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स निधि से आज तक जितने भी कम्पयूटर, लैपटॉप, बैटरी, फर्नीचर तथा अन्य कीमती सामान इत्यादि की खरीद की गई, उनकी प्रविष्टियाँ नियमानुसार सम्पत्ति रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये तथा स्टॉक रजिस्टर में सामग्री का पूर्ण विवरण दिया जाये। इसके अतिरिक्त उक्त सामग्री जिस–2 अधिकारी/कर्मचारी को जारी की गई, उनका पूर्ण ब्यौरा तैयार करवाया जाये ताकि सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से बचा जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के अन्तर्गत जितने भी कम्पयूटर, बैटरी, फर्नीचर, हीट पिलर, लैपटॉप तथा अन्य कीमती सामग्री खरीद की गई है, उनको जिला स्त्तर तथा अन्य कार्यालय में कहाँ–कहाँ स्थापित किया गया है, उनका पूर्ण ब्यौरा तैयार करवाया जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जितनी भी सामग्री की खरीद की गई उनका कार्यालय हेतु सदुपयोग किया जा रहा है।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा कीमती तथा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पति रजिस्टर–स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई–गवर्नेन्स निधि से जितनी भी स्थाई तथा अन्य कीमती सामग्री खरीदी गई है उन सबको सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर दर्ज किया जाए तथा जिन–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित उपकरण जारी किए गए है उनसे प्राप्ति के एवज में हस्ताक्षर इत्यादि प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 ₹300/– का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वीकृति आदेश संख्या SML-Sugam/Crockery etc./2014-104 dt. 31.3.14 के अन्तर्गत M/S Sharma, Electricals Lower Bazar, Shimla से उनके बिल संख्या 670 dt. 26.11.13 के अन्तर्गत एक नं0 Heat Convector Khaitan की खरीद की गई जिसके एवज में ₹2480/– का भुगतान किया गया जबकि इसके लिए सदस्य सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा स्वीकृत आदेश संख्या 104 दिनाँक 31.3.14 के अन्तर्गत ₹2180/– की स्वीकृति दी गई जिसके फलस्वरूप ₹300/– का भुगतान अधिक किया गया प्रतीत होता है। अतः इस मामले में छानबीन करके अधिक भुगतान की गई ₹300/– की भरपाई सम्बन्धित फर्म से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

22 खुले बाजार से ₹27749/– की स्टेशनरी की खरीद करने से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के लेखों के अंकेक्षण के दौरान जिला स्तर पर विभिन्न आर0एल0ए0 द्वारा जमा करवाए गए अंशदान से स्टेशनरी की खरीद पर किये गये व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की टैस्ट जाँच करने पर पाया गया कि उक्त ईकाई ने स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से न करके खुले बाजार से की, जोकि अनियमित था। यदि किसी कारणवश स्टेशनरी की खरीद खुले बाजार से भी करनी थी तो भी यह खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करके की जानी अपेक्षित थी। अतः ईकाई द्वारा स्टेशनरी की खरीद बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये खुले बाजार से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य में स्टेशनरी की खरीद हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से ही की जानी सुनिश्चित की जाये। टैस्ट चैक/परीक्षण के दौरान स्टेशनरी की खरीद जो खुले बाजार से की उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

7491264/20.12.07	M/S Shreshtha Consultancy Shimla Bill No. 452 dt. 2.11.07	Stationery	6490
7491287/4.1.08	-do- Bill No. 467/29.11.07 -do- 466/29.11/07 -do- 462/28.11.07	-do-	16945
7491298/16.1.08	-do- Bill No. 425 dt. 1.10.07	-do	2709
8048927/16.3.09	M/S Amika Trafers Shimla Bill No. 070106 dt. 27.1.09	Computer stationary	1160
293567/26.11.11	Trade link enterprises Shimla Bill No. 6885 dt. 23.11.11	-do-	445
		योग	**₹27749**

23 सुगम में तैनात कर्मचारियों से किये गए अनुबन्ध से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

(क) माह 3/11 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) शिमला में तैनात कर्मचारियों के अनुबन्धों में Second पार्टी जिला शिमला दर्शाया गया था, जोकि अनियमित था क्योंकि अनुबन्ध में Second Party अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, जिला शिमला वर्णित किया जाना अपेक्षित था। टैस्ट चैक के दौरान जिन–2 कर्मचारियों के अनुबन्ध में यह अनियमित पाई गई उनका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः नियमानुसार second party को अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से न दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके इस प्रकार के समस्त अनियमित को अनुबन्धों में ठीक किया जाये। उक्त के अतिरिक्त अनुबन्धों को इन्चार्ज (इन्चार्ज) सुगम केन्द्र द्वारा हस्ताक्षरित करवाया

गया जबकि इस सम्बन्ध कोई भी आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित हो सके कि इन्चार्ज सुगम केन्द्र ई–गवर्नेन्स सोसाईटी शिमला के behalf पर अनुबन्ध कर सकते है। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अवधि	राशि
1	श्री किशोर भारद्वाज A/C Traine	2011	5000
2	श्रीमती गायत्री शर्मा I.T. traince	2011	3500
3	कुमारी रीता I.T. Volunt rec.	2011	4000
4	श्रीमती रजनरी देवी Helper	2011	3300
5	श्रीमती रीना देवी I.T.Trainee	2011	3500
6	श्री मंगल राम Security Guard cum-Peon	2011	3300
7	श्री अमरा I.T. Volunter	2011	4000
8	श्रीमती सुदेश कुमारी I.T. Trainee	2011	3500
9	श्रीमती पार्वती I.T. Volinter	2011	5000
10	श्री हीरा लाल I.T. Trainee	2011	3500
11	कुमारी नीटू ठाकुर I.T. Volunter	2011	6000
12	श्री दिनेश कुमार Peon	2011	3300

(ख) श्री किशोर भारद्वाज के अनुबन्ध में कहीं जगह I.T. Volunter दर्शाया गया जबकि ई–गवर्नेन्स जिला शिमला ईकाई के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को A/C Trainee तैनात किया गया था। अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ग) श्री रजनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री देंविन्द्र को चेयरमेन, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी शिमला के पत्र संख्या SML/Sugam/2007-450 दिनाँक 24.6.08 द्वारा Full Time Helper in Sugam Phase I & II के रूप में तैनात किया। उक्त कर्मचारी के अवधि 2011 के अनुबन्ध का अवलोकन करने पर पाया गया कि कर्मचारी द्वारा अपना पद Security-cum-Peon दर्शाया गया था तथा अनुबन्ध भी जिला शिमला से किया गया दर्शाया गया है, जोकि अनियमित था। अतः अनुबन्ध में कर्मचारियों द्वारा Security-cum- Peon दर्शाना और अनुबन्ध Chairman ई गवर्नेन्स सोसाईटी जिला शिमला के स्थान पर जिला शिमला करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनुबन्ध को भी नियमानुसार संशोधित किया जाये। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) इसी प्रकार श्री दिनेश कुमार को सेवादार के पद पर तैनात किया गया था जबकि वर्ष 2011 में अनुबन्ध में कर्मचारी में अपना पद Security Gaurad-cum- Peon दर्शाया गया है और

अनुबन्ध Chairman ई–गवर्नेन्स सोसाईटी जिला शिमला के स्थान पर जिला शिमला के साथ किया गया, जोकि अनियमित था। अतः इस अनुबन्ध को भी संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

(ङ) अभिलेखों में अवधि 2011 के पश्चात के अनुबन्ध संलग्न नहीं थे तथा न ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अवधि 2011 के पश्चात के अनुबन्ध लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये जिन्हें आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

24 I.T. Voluntrers/I.T. Traniees को दिये गये मासिक भुगतान से सम्बन्धित पावती रसीद प्राप्त न करनाः–

माह 10/11 के मासिक वेतन/वेजिजस (I.T. Volunter/I.T. Trainee) का भुगतान माह 11/11 में किया गया जिसकी जाँच के उपरान्त पाया गया कि श्रीमती अमरा बती को किये भुगतान की ₹3741/– की रसीद प्राप्त नहीं की गई जोकि अनियमित है। अतः उक्त राशि के भुगतान से सम्बन्धित रसीद न लेने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भुगतान से सम्बन्धित रसीद अब प्राप्त की जाये तथा अनुपालना लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान I.T. Volunter/I.T. Trainee को किये गये भुगतान से सम्बन्धित acquantance roll पर आहरण एवं वितरण/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त किया गया भुगतान सही व्यक्ति को ही दिया गया है। अतः भविष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा acquantance roll पर प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में दिया जाये।

25 Incentive का भुगतान करने के लिये निकाली गई की ₹10000/– के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में माह 11/11 में चैक संख्या 293560 दिनाँक 1.11.11 को ₹5600/– तथा चैक संख्या 293564 दिनाँक 15.11.11 को ₹4400/– का आहरण किया गया था। यह राशि Incentine का भुगतान करने के लिये निकाली गई दर्शाई गई थी परन्तु इस राशि का भुगतान किन–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया, उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इन राशियों का भुगतान जिस–2 अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया उनसे सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये अन्यथा उक्त ₹10000/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये।

26 रोकड़ बही में वेतन के भुगतान को कम दर्शानाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला के माह 7/12 के वेतन/मासिक भुगतान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि Sh. Inderjeet Negi (सुगम केन्द्र शिमला को) माह 7/12 में चैक संख्या द्वारा 7294681 दिनाँक 2.7.12 को ₹8000/– का भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ बही में केवल ₹3000/– दर्शाई गई। इस प्रकार रोकड़ बही में भुगतान के रूप में ₹5000/– कम दर्शाई गई है, जिस बारे वस्तुस्थिति आगामी अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये और वेतन की सही प्रविष्टि रोकड़ बही में करके तदानुसार रोकड़ बही को सही किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27 ₹10000/– के भुगतान के बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री वरिन्द्र सिंह, I.T. Volunter तथा श्री ऐजिन्द्र पाल, I.T. Volunter को माह अक्तूबर, 2011 के वेतन का भुगतान क्रमशः चैक संख्या 293583 दिनाँक 30.11.11 तथा चैक संख्या 293584 दिनाँक 30.11.11 द्वारा ₹5000/– प्रति व्यक्ति की दर से किया गया। वाऊचर नस्ति की जाँच करने पर पाया कि इस भुगतान से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नस्ति में नही पाये गए। अतः यह भुगतान उक्त I.T. Volunters को किस आधार पर किया गया उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त भुगतान से सम्बन्धित APRs भी अभिलेखों में नहीं पाई गई। अतः APRs के बिना यह भुगतान किस–2 आधार पर किया गया, उस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। इन त्रुटियों को पूर्ण करते हुये वस्तुस्थिति को आगामी अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट किया जाये।

28 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई द्वारा समय–2 पर जिले की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) को सामग्री की विभिन्न मदें जारी की गई तथा जिला शिमला की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) द्वारा केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में राशियां भेजी गई परन्तु इनका मिलान केन्द्रीय ईकाई द्वारा सम्बन्धित (RLAs) के साथ नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 लघु आपत्ति विवरणिकाः— इसे अलग से जारी नहीं किया है।

30 निष्कर्षः— लेखाओं के रख—रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)(xii)10/2014 खण्ड—1—7204—7208 दिनांक, 29.11.2014 शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (Protocol) शिमला एवं सचिव ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष ई—गवर्नेन्स सोसाईटी शिमला (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02

5 श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.